

श्री प्रकाश गुप्त,
उप महा सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या केंद्र-2 मंगलग्राम,
प्रतिष्ठान दिल्ली, नई दिल्ली

दिनांक 17 अगस्त

संज्ञक: दिनांक: 21 अगस्त, 200

विषय:- न्यू एरा स्कूल पाडवनगर गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से अनुपापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय की आर.आर.ए. प्रमाण आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से अनुपापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1.1 विद्यालय की पंजीकृत सीतापत्तों का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 1.2 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य हो
- 1.3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 1.4 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संरचना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फोर डि पाण्डवन स्कूल स्टीफिक्ट डकनामिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद का संरचना प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान प्राप्त हो जायेगा।

New Era School

Principal



New Era School

Manager

15: संस्था वैदिक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त स्थान संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वर्तमानों तथा अन्य भक्तों से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तें नहीं रखे जायेंगे ।

16: कर्मचारियों को सेवा शर्तें तनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनापत्ति उत्पन्न भीषण शिक्षण विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

18: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचयों में रखा जायेगा ।

19: उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संगोपन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घुठ या गिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महतीय,

। विम प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पूर्वसंदेश एवं दिनांक तैय

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- महामन्त्रि संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, न्यू रेरा स्कूल पांडवनगर, गाजियाबाद ।
- 6- गाई हुक ।

आज्ञा से,

। विम प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।



New Era School

Nakhal